कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता जिला – नागौर

निविदा सूचना

क्रमांक : लेखा / 2019–20 / 02 दिनांक : 02-07-19

जिला एवं सेशन न्यायालय, मेड़ता मुख्यालय व अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं. 1, परबतसर के मुख्यालय परिसर में स्थित सभी न्यायालय भवनों कार्यालयों व परिसर की सफाई कार्य (मय सामग्री) के लिए पूर्व मे जारी निविदा संख्या लेखा / 2019–20 / 01 दिनांक 10.06.2019 को निरस्त करते हुए पुनः दिनांक 19.07.2019 तक आमन्त्रित की जाती है। शेष शर्तें यथावत रहेगी। निविदा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए मान्य होगी। खुली निविदा का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	नाम आईटम मय विवरण	जिला एवं सेशन न्यायालय, मेड़ता व न्यायालय परिसर के समस्त न्यायालय	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय नं. 1, परबतसर व न्यायालय परिसर के समस्त न्यायालय
1	निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये	200 /–	
2	अमानत राशि रूपये	11520 /–	
3	अनुमानित लागत राशि रूपये	54000 /– प्रतिमाह	10000 /– प्रतिमाह
4	निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की दिनांक	दिनांक 04.07.2019	
5	परिसर की जांच करने हेतु निश्चित दिनांक	दिनांक 19.07.2019 तक	
6	तकनिकी निविदा खोले जाने की तिथि व समय	दिनांक 19.07.2019	
7	निविदा प्रपत्र सामने दर्शायी वेबसाईट से भी डाउनलोड की जा सकती है	http://SPPP.rajasthan.gov.in http://ecourts.gov.in/nagaur	

निविदाएं दिनांक 19.07.2019 को दोपहर 11.00 तक प्राप्त की जायेगी तथा प्राप्त निविदायें दिनांक 19.07.2019 को ही दोपहर 04:00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं / प्रतिनिधियों के समक्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में खोली जायेगी। निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्तें विभाग की वेबसाईट http://ecourts.gov.in/nagaur तथा http://SPPP.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकेंगी। वेबसाईट से फार्म लेने की दशा में फार्म जमा कराते समय उसमें निविदा प्रपत्र मूल्य 200/– रूपये व अमानत राशि का डीडी अवश्य लगावें अन्यथा निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

2.7.19
अध्यक्ष (क्रय समिति)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
५ मेड़ता, जिला – नागौर

क्रमांक : लेखा / 2019–2020 / दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. नोटिस बोर्ड, श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता जिला – नागौर
2. नोटिस बोर्ड , नगरपालिका मेड़ता
3. सिस्टम ऑफिसर, कार्यालय हाजा को विभाग की वेबसाईट http://ecourts.gov.in/nagaur तथा http://SPP.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु।
4. ....

2.7.19
अध्यक्ष (क्रय समिति)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
५ मेड़ता, जिला – नागौर

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता जिला – नागौर

निविदा प्रपत्र
(वित्तीय निविदा प्रपत्र)

निविदा पत्र शुल्क रूपये 200/–
(वापसी योग्य नहीं)

1. नाम एवं पता निविदाकार फर्म/संस्थान : ____________________
2. फोन नंबर/मोबाईल नंबर : ____________________
3. सन्दर्भ : निविदा सूचना क्रमांक : .... दिनांक ....
4. कार्य का नाम : साफ–सफाई, मैन पावर कर सहित (जिसके लिए दर संविदा प्रस्तुत की जानी है)

नोटः– कार्मिकों की न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एवं श्रम विभाग के नवीनतम नियमों की पालना करनी होगी, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

कार्य का नाम	अधिकतम राशि (प्रतिमाह) सभी करों सहित	निविदा दाता द्वारा प्रस्तावित मासिक अधिकतम राशि सभी करों सहित	
		अंको में	शब्दों में
मेड़ता न्यायालय परिसर में स्थित सभी न्यायालय भवनों तथा कार्यालयों व परिसर की सफाई हेतु	54000/–		
परबतसर न्यायालय परिसर में स्थित सभी न्यायालय भवनों तथा कार्यालयों व परिसर की सफाई हेतु	10000/–		
उपलब्ध कराये जाने वाले स्वपीरों की संख्या– मेड़ता हेतु– न्यूनतम 05 (पांच) परबतसर हेतु –न्यूनतम 01 (एक)	–	कुल स्वीपरों की संख्या : .... मेड़ता मुख्यालय – परबत्तरसर मुख्यालय –	

निविदाता के हस्ताक्षर मय संस्था सील

पूरा नाम ....

डाक का पता ....

....

फोन नं0..

2.7.19
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मेड़ता
DDO कोड सं. 3277

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता जिला – नागौर

निविदा प्रपत्र

Technical Bid

sr.no.	विवरण	विवरण
1	नाम (पता निविदाकार फर्म/संस्थान)	
2	फोन नंबर/मोबाईल नंबर	
3	पता निविदाकार फर्म/संस्थान	
4	बैंक विवरण (निविदाकार का)	
	बैंक का नाम	
	खाता संख्या	
	IFSC code	
5	GST registration no.	
6	निविदा प्रपत्र राशि – डीडी नं/रसिद संख्या	
7	Bid security of Rs. ______________ deposite vide dd ______________no. date __________ drawn on______________________________ (Name of Bank & branch) payable at merta branch	
8	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970	
9	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952 यदि लागू न हो तो वचन पत्र (undertaking)	
10	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 यदि लागू न हो तो वचन पत्र (undertaking)	
11	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)	
12	आय कर (पैन नंबर)	
14	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत	
15	No Black listing Certificate o n Rs. 100/- Non Judicial Stamp (annexure -1)	
16	Certificate of Confirming (annexure -2)	
17	Self declaration by the Bidder regarding Qualification (annexure -3)	
18	Grievnance Redressal during Procurement Process (annexure -4)	
19	Additional conditions of contract (annexure -5)	
20	अनुभव प्रमाण पत्र विगत दो वर्षो का (annexure -6)	

*Attached Bid Security : Bidders Banker Cheque/D.D Tech. Tender Bid

निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा

यदि मेरे/हमारे द्वारा दिए गए उक्त तथ्य गलत पाये जाते है तो बिना किसी पत्र /नोटिस के मेरी/ हमारी अमानत राशि जब्त करने एवं उक्त निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार श्री मान क्रय समिति, जिला एवं सेशन न्यायालय, मेड़ता को प्रदान करता हूं/करते है।

8.7.19

अपर जिला एव सेशन न्यायाधीश
मेड़ता
DDO कोड सं. 327

निविदाता के हस्ताक्षर मय संस्था
सील

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता

–: सफाई कार्य हेतु निविदा शर्ते :–

1. निविदा दाता से अपेक्षित है कि निविदा जमा करवाने से पूर्व निविदा का भली–भांति अध्ययन करले तथा न्यायालय परिसर का परिक्षण कर ले। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु निविदा सूचना की अंतिम तिथि तक से पूर्व तक कार्यालय समय में सम्पर्क किया जा सकता है। तथापि विभाग किसी प्रकार के लिखित स्पष्टीकरण हेतु बाध्य नहीं है।
2. निविदादाता द्वारा निविदा दो रूपों में यथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा पृथक–पृथक लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफों पर क्रमशः तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अंकित करे तथा बन्द लिफाफो को एक बड़े लिफाफे में सीलबन्द कर जमा कराने होंगे। तकनीकी रूप से सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
3. तकनीकी प्रस्ताव वाले लिफाफे में भरा हुआ निविदा प्रपत्र एवं समस्त दस्तावेज जो मांगे जा रहे है रखे जायेंगे। निविदा दाता को वित्तीय प्रस्ताव अलग लिफाफे में प्रस्तुत करने होंगे। यदि किसी निविदा दाता द्वारा तकनीकी प्रस्ताव के साथ वित्तीय प्रस्ताव एक लिफाफे में दिया जाता है तो उसकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
4. विभाग को किसी भी स्तर पर निविदा को, पूर्ण अथवा भाग को, स्वीकार अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत/निरस्त निविदाओं के निविदादाताओं से कोई विमर्श नहीं किया जायेगा। क्रय समिति Most Advantagious निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है।(नियम 69 (2))
5. तकनीकी निविदा के साथ दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत की जानी चाहिये।

(A) पात्रता के मानदंड –

1. निविदा फर्म के निदेशकों/प्रोपराइटरों/साझेदारों/मालिक/कम्पनी सचिव के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भरी जाने की अवस्था में उस व्यक्ति का निविदा भरने हेतु फर्म के निदेशकों/प्रोपराइटरों/साझेदारों/मालिक/कम्पनी सचिव के द्वारा अधिकृत किया जाने वाले दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी जो फर्म के निदेशकों/ प्रोपराइटरों/ साझेदारों /मालिक/कम्पनी सचिव द्वारा सत्यापित होनी चाहिए।
2. निविदादाता के पास राजस्थान दुकान एवं वाण्ज्यि संस्थान अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अथवा इसके समकक्ष अधिनियम के तहत अन्य राज्य/केन्द्र में पंजीकृत होना चाहिए।
   नोट :– (किसी भी पंजीकरण के लागू नीं होने की दशा में निविदादाता को स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र लैटर हैड पर अनिवार्य रूप से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा)
3. माल एवं सेवा कर पंजीयन प्रमाण पत्र निविदादाता को निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन एवं ESI & PF रजिस्ट्रेशन की सत्यापित प्रति संलग्न करनी चाहिये जिसके अभाव में निविदा निरस्त की जा सकेगी।
4. कार्यानुभव :– ठेकेदारों निविदादाताओं को राजकीय कार्यालयों, में कार्य करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो।

अपर जिला एव सेशन न्यायाधीश
मेड़ता
DDO कोड सं. 9277

B निविदा की सामान्य शर्ते :

01 कार्यालय में निर्धारित निविदा शुल्क जमा करवाकर प्राप्त किये गए निविदा प्रपत्र एवं निविदा शर्ते जिसके पृष्ठ पर निविदा दाता द्वारा हस्ताक्षर किये गये हो वही प्रपत्र निविदा में शामिल किया जायेगा।

02 निर्धारित दिनांक एवं समय के बाद प्राप्त होने वाली निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। डाक से भेजी गई निविदाए यदि विलम्ब से प्राप्त होती है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा न ही इसके लिए कार्यालय उत्तरदायी होगा।

03 प्राप्त निविदाओं के यथा निर्धारित दिनांक व समय पर यथा सूचित स्थान/कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति द्वारा खोला जायेगा।

04 निविदा में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त निविदा दाता की अन्य कोई शर्त स्वीकार नहीं होगी।

05 निविदा समिति को किसी भी निविदा को (न्यूनतम दर वाली निविदा सहित) बिना कोई कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

06 निविदा समिति को न्यूनतम दर वाली फर्म/संस्था को छोड़कर उसके स्थान पर उच्च दर वाली फर्म को कार्यादेश देने का अधिकार सुरक्षित होगा।

07 सफाई व्यवस्था बाबत् कार्य योजना निविदा दाता के पास उपलब्ध संसाधन व अनुभव आदि के सम्बंध में अपना प्रस्तुतिकरण करने के लिए भी निविदा दाता को बुलाया जा सकता है, जो निर्धारित दिनांक व समय पर निर्धारित स्थान पर उपस्थित होकर निविदा समिति के समक्ष सफाई से संबंधित अपना प्रस्तुतिकरण स्वयं के खर्चे पर प्रस्तुत करेगा।

08 निविदा दाता को राशि 11520/— धरोहर के रूप में कार्यालय के नाम (जिला एवं सेशन न्यायाधीश मेड़ता) बैंक ड्राफ्ट नकद जमा कराना होगा। सफल निविदा दाता को आदेश प्राप्ति के भीतर Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 के नियम 75 के प्रावधानों के अनुसार 10 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप जमा करानी होगी, जिसमें पूर्व में जमा 2 प्रतिशत धरोहर राशि का समायोजन किया जा सकेगा। कार्य प्रतिभुति राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा तथा अनुबंध के संतोष जनक रूप से पूर्ण होने के पश्चात् लौटाई जावेगी।

09 सफल निविदादाता को पांच सौ रूपये के नॉन — ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निविदा शर्तों की पालना करने हेतु अनुबंध पत्र निष्पादन करना होगा, जो ठेके की अवधि में वैध होगा।

10 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निम्न हस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम होगा जो सभी पक्षों को मान्य होगा। कानूनी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र मेड़ता होगा।

11 संवेदक अनुबंधित अवधि में सम्पूर्ण कार्य को या कार्य के किसी भाग को अन्य एजेन्सी को सबलेट नहीं करेगा। कार्यालय द्वारा प्राधिकृत समिति समय समय पर किये गये कार्य का निरीक्षण करेगी एवं निरीक्षण के समय संस्था का प्रतिनिधि उपस्थित होगा एवं बताई गई कमियों को अविलम्ब दूर करवायेगा।

12. निविदादाता द्वारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।

13 प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Peformance Secutiy) निम्नलिखित मामलों में किया जा सकेगा :—

1. जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मेड़ता
DDO कोड सं. 3277

2. जब बोलीदाता सम्पूर्ण प्रदाय/सेवा संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
3. जमा कराई गई प्रतिभूति निक्षेप को समपहरीत करने से पूर्व युक्तियुक्त समय देते हुए निविदादाता को नोटिस दिया जाएगा,
4. प्रतिभूति निक्षेप की समपहत की गयी राशि सम्बंधित विभाग के शिर्ष "अन्य प्राप्तियों" में जमा करायी जाएगी तथा अन्तरण प्रविष्टि की व्यवस्था के लिए आवश्यक कार्यावाही की जाएगी।
5. प्रतिभूति निक्षेप का प्रतिदाय :– अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के तीन माह पश्चात प्रतिभूति निक्षेप निविदादाता को लौटा दिया जावेगा।

14 निविदादाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग के पतिपत्र एफ2(1)वित्त एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 संख्या 1/2018 एवं परिपत्र एफ2(1) वित्त एसपीएफसी/2017 दिनांक 14.11.2018 वर्णित शर्तो की पूर्ण पालना की जानी अनिवार्य है तथा उपापन संस्था द्वारा विभिन्न सेवाओं के संपादन में आवश्यकतानुसार मानव संसाधन हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियमों में प्रावधित उपापन की विभिन्न रीतियों में से उपयुक्त रीति का चयन करते हुए किया जाएगा।

(C) निविदा के अधीन सफाई योग्य क्षेत्र :–

इस निविदा के अधीन सफाई योग्य क्षेत्र में न्यायालय परिसर में स्थित भवनों एवं पारिवारिक न्यायालय के सभी शौचालय, गलियारा बरामदा, सिढिया भवन की दीवारें, बाथरूम, टॉयलेट एवं दीवारों पर लगी टाईलें खिडकियों के शीशें, छत, छज्जों, पानी की टंकियो तथा परिसर के खुले स्थान, सड़क पार्किंग, कचरा पात्र सफाई एवं न्यायालय परिसर की चार दिवारी के अन्दर, परिसर के सभी कक्षों की नियमित सफाई शामिल होगी। इनमें कमी/वृद्धि का अधिकार इस कार्यालय को होगा व संवेदक को मान्य होगा।

01 जिला न्यायालय मेड़ता परिसर एक मंजिला है एवं न्यायालय परिसर में लगभग 54 कमरें, मीटींग हॉल लाईब्रेरी, कम्प्यूटर रूम, लगभग 2 सार्वजनिक शौचालय, 9 अधिकारी चैम्बर से अटैच शौचालय लगभग 25 पानी की टंकिया एवं 03 अंडर ग्राउंड वॉटर टैंक निर्मित है।

02 परबतसर न्यायालय परिसर 11 कमरे, 3 शौचालय, 1 प्यायु तीन अधिकारी चैम्बर है।
कुल अनुमानित क्षेत्रफल 2202 वर्गफीट है।
03 निविदादाता निविदा दरें प्रस्तुत करने से पूर्व न्यायालय परिसरों को स्वयं के स्तर पर कार्यालय समय में उपस्थित होकर निरीक्षण कर सकता है।
04 सफाई कार्य हेतु आवश्यक समस्त उपकरण जैसे – क्लीनिंग मशीन, झाड़ु, पौंछा, टॉयलेट ब्रश, वाईपर ,दस्ताने, मास्क, हेलमेट, कैंची, कचरा ट्रोली, फावडा, सीढी एंव अन्य सभी सफाई उपकरण निविदादाता को स्वयं के स्तर पर स्वयं के खर्चे पर सफाई कार्य हेतु नियोजित कर्मचारियों को उपलब्ध कराने होंगे।

05 सफाई कार्य में प्रयुक्त सामान जैसे डिटरजेंट फिनाईल नेप्थालीन बॉल, हार्पिक, डिटॉल टायलेट सोप, व रूम फेशनर्स आदि की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। समस्त उत्पाद मानक उत्पाद होने आवश्यक है।

d सफाई कार्य की आवृति विवरणिका:–

प्रातः 9:30 तक किए जाने वाले कार्य :–

1 न्यायालय परिसर में भूतल एवं प्रथम तल पर स्थित कक्षों गलियारा रैम्प, सीढीयां, टॉयलेट गार्डरूम बाहर की सड़क लॉन आदि की झाड़ु से सफाई करना।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मेड़ता
DDO कोड सं. 927—

2. समस्त प्रकार की फर्स /टाईल्स की झाडु से सफाई एवं गीले कपडे/क्लीनिंग मशीन से पौंछा लगाना। दीवारों आदि पर पान की पीक बलगम व अन्य गंदगी व जालो को हटाने का विशेष ध्यान रखना होगा।

3. समस्त टॉयलेट के फर्श/वाश बेसिन/WC की डिटरजेंट से धुलाई एवं फिनाईल डालकर पौंछा लगाना एंव नैथ्थालीन बाल डालना।

4 समस्त टॉयलेट एवं अधिकारी चैम्बर की दिन में दो बार पौंछा लगाकर सफाई करनी होगी।

5. समस्त कचरे को एक जगह इकट्ठा कर निस्तारित करना।

सप्ताह में एक बार किए जाने वाले कार्य :–

1 न्यायालय परिसर के गलियारे व कक्षों सीढीयों व टॉयलेट की डिटरजेंट से धुलाई एवं फिनाईल डालकर पौंछा लगाना।

2 दीवारों पर छतों की सफाई व जाले हटाने का कार्य

3 खिडकियों दरवाजों लिफ्ट व पार्किंग स्थल की सफाई।

माह में एक बार किए जाने वाले कार्य

1 न्यायालय भवन की उपर की छत की सफाई।

2 पानी की सभी टंकियों की सफाई छत की पाइपों/ चारदानों की सफाई।

3 पेडों की छंटाई व लॉन की घास कटाई का कार्य।

4 अन्य निर्देशित सफाई सम्बन्धी सभी कार्य।

वर्ष में एक बार किए जाने वाले कार्य

1 न्यायालय परिसर में स्थित सैप्टिक टैंको की सफाई।

2 अण्डर ग्राउंड वाटर टैंक की सफाई।

(E) अन्य महत्वपूर्ण शर्ते :–

1 श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबन्धित संवेदक का होगा। ठेकेदार/संस्था द्वारा सफाई कार्य हेतु नियोजित समस्त कार्मिको/श्रमिकों के आचरण की जिम्मेदार स्वयं ठेकेदार की होगी।

2 संविदाकार द्वारा शराब अथवा अन्य नशे के आदि अथवा अपराधिक प्रवृति के व्यक्ति को नही लगाया जावेगा तथा लगाये गए श्रमिक द्वारा किये जाने वाले किसी आपराधिक कार्य के लिए एवं उससे उत्पन्न होने वाले प्रत्येक दायित्व के लिए संबंधित संवेदक ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

3 ठेकेदार/संस्था के व्यक्तियों द्वारा यदि न्यायालय सम्पत्ति को चोरी या तोड़फोड़ से नुकसान पहुचांया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार/संस्था की होगी एवं नुकसान की भरपाई सम्बन्धित ठेकेदार/संस्था से वसूल की जायेगी।

4. कार्य के दौरान किसी श्रमिक के साथ गिरने करंट लगने, जलने एवं अन्य किसी कारण से कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार/संस्था की होगी। कार्य पर लगे श्रमिक की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है या अन्य किसी भी रूप से दुर्घटना ग्रस्त होकर घायल/अपंग हो जाता है। तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं क्षतिपूर्ति/मुआवजा आदि देने का भार सफल निविदादाता ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। इसके लिए न्यायालय प्रशासन किसी भी प्रकार से सहयोग एवं जिम्मेदारी नहीं होगा।

5 अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन करने एवं कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना सूचना दिये ठेका समाप्त किया जा सकता है एवं हानि की भरपाई/क्षतिपूर्ति सफल निविदादाता/संस्था से की जायेगी।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मेड़ता
DDO कोड सं. 327—

6. सफाई कार्य हेतु 18 वर्ष से अधिक आयु के महिला/पुरूष व्यक्तियों को ही लगाना होगा। कार्य के दौरान कोई भी सफाई कर्मचारी नशें में नहीं होगा।

7 संवेदक को अपना एक अधिकृत प्रतिनिधि सफाई कार्य के सम्पादन हेतु कार्यालय समय में उपलब्ध कराना होगा जो इस कार्य हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के सम्पर्क में रहेगा। तथा बताई जाने वाली कमियों का तुरंत निस्तारण करवायेगा।

8 अनुबंधकर्ता को सफाई कार्य ठेके की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद आगामी ठेका होने आदेशित किये जाने तक कार्य अनुमोदित दर से जारी रखना होगा। तथापि कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति से अनुबंध अवधि आगे बढाई जा सकेगी।

9 अनुमादित दरों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कर/ भाडा/मजदूरी आदि देय नही होगा।

10 पानी की कमी होने पर संवेदक स्वयं को सफाई हेतु पानी की व्यवस्था करनी होगी जिसके लिए अलग से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।

11. संविदाकार द्वारा अपने सभी कार्मिकों को फोटो युक्त परिचय पत्र जारी करना होगा तथा सभी ठेका कर्मिकों को उक्त परिचय पत्र कार्य समय में प्रदर्शित करना होगा।

12. संवेदक को अपने खर्चे पर पर्याप्त मात्रा में थूकदान एवं कचरा पात्र कार्यालय भवन एवं परिसर में अधोहस्ताक्षरकर्ता के निर्देशानुसार रखवाने होंगे।

13. अनुबंधकर्ता को यह सुनिशचित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गए सभी सफाई कार्मिक नीले रंग की वर्दी में उपस्थित होवें। वर्दी पर सफाई कार्मिक का नाम अंकित किया जाना आवश्यक है। सफाई कार्मिकों के वर्दी में उपस्थित नहीं होने की स्थिती में इस कार्यालय द्वारा मासिक भुगतान में से रू 100/— प्रति दिन प्रति कार्मिक की दर से कटौति की जा सकेगी।

14 शेष शर्ते राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम — 2012 व नियम 2013 इस कार्यालय की निविदा सूचना संख्या/लेखा/निविदा/2019—20/.......... दिनांक .... एवं सामान्य वित्तिय लेखा नियमों के अनुसार लागु होगी।

भाग (F) शास्ति प्रावधान :—

1 सफाई कार्य नहीं कराने पर अथवा निरीक्षण के दौरान सफाई कार्य में किसी भी प्रकार की की कमी पाई जाने पर अथवा किसी अधिकारी/शाखा से सफाई बाबत् शिकायत प्राप्त होने पर जांच में शिकायत सही पाये जाने पर प्रति प्रकरण प्रतिदिन 1000/— *per incident per day* ठेकेदार/संस्था पर अधिरोपित की जा सकेगी जो कि उसके द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल में से कटौती की जाकर बिल की केवल शेष राशि की भुगतान की जायेगी।

भाग (G) भुगतान का तरिका तथा भुगतान का रोका जानाः—

1 सफाई कार्य हेतु ठेकेदार/संस्था को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

2 भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के उपरांत किया जायेगा। इस हेतु ठेकेदार/संस्था द्वारा किये गये सफाई कार्य के विवरण सहित, श्रमिकों की उपस्थिति एवं दो प्रतियों में बिल कार्यालय के अधिकृत अधिकारी/नाजिर से प्रमाणित कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

3 संवेदक को सफाई कार्य के मासिक बिलों का भुगतान अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से बिल प्रमाणीकरण करवाने के पश्चात् बजट उपलब्ध होने की स्थिती में ऑनलाईन भुगतान किया जावेगा। भुगतान मे देरी होने पर किसी प्रकार का अग्रीम भुगतान नहीं किया जावेगा एवं भुगतान के अभाव में सफाई कार्य रोकना/किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान मान्य नहीं होगा एवं ऐसा करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मेड़ता
DDO कोड सं. 3277

4 वसूलियाँ यदि कोई हो तो उन्हें बिल की राशि में समायोजित किया जावेगा।

5 भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल मे से नियमानुसार आयकर कटौति एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कटौतियां की जायेगी।

6 सेवाकर/ई.एस.आई की राशि या भुगतान सम्बन्धित/संस्था द्वारा ही जमा कराया जायेगा क्योंकि प्रस्तुत दर समस्त करों सहित है।

7 संवेदक यदि अनुबंध अवधि के बीच कार्य छोड़कर चला जाता है अथवा निर्धारित अवधि तक अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो ऐसी दशा में निम्न हस्ताक्षरकर्ता को उसकी *risk and cost* पर सफाई व्यवस्था/अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करवाने का अधिकार होगा एवं उसकी वसूली ठेकेदार से की जावेगी तथा किये गये कार्य का भुगतान आनुपातिक कार्यदिवस के आधार पर किया जायेगा।

8 अनुबंध अवधि में सफाई कार्य हेतु संविदाकार द्वारा लगाए गये श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नियत अवधि में स्वयं संविदाकार द्वारा करना होगा तथापि कार्यालय द्वारा ठेके की अवधि के बिलों के भुगतान से इसका कोई संबंध नही होगा। ठेकेदार द्वारा नियुक्त सफाई कार्मिको को नियत अवधि एवं राशि के भुगतान का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का ही होगा।

9 सफाई कार्य हेतु नियुक्त कार्मिक ठेकेदार के कार्मिक होंगे एवं पूर्णतः संविदा/अंशकालिक कार्मिक होंगे तथा सफाई कार्मिकों को पारिश्रमिक के भुगतान के लिए ठेकेदार ही पूर्णतः उत्तरदायी होगा। ठेकेदार एवं उसके द्वारा नियुक्त कार्मिकों के बीच भुगतान के विवाद के लिए वह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

10 अनुबंधकर्ता को सफाई कार्य ठेके की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद आगामी ठेका होने आदेशित किये जाने तक कार्य अनुमोदित दर से जारी रखना होगा। तथापि कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति से अनुबंध अवधि आगे बढाई जा सकेगी।

अपर जिला एव सेशन न्यायाधीश
मेड़ता
DDO कोड सं. 327..

निविदा दाता के हस्ताक्षर

दिनांक व पूर्ण पता व मोहर

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मेड़ता
DDO कोड 3277

Technical Envelop
Annexur :(1)

Form B
Format of Affidavit
(to be filled by the bidder on Non judicial Rs. 100 stamp paper duly attested by a notary)

I ....S/o ....Aged .... Yrs. .... residing at
.... Proprietor/Partner/ Director of M/s
.... do hereby solemnly affirm and declare that :

(a) My/Our above noted enterprise M/s .... has been issued acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part - II by the District Industries Center .... The acknowledgement No. is .... dated .... and has been issued for manufacture of following items:

	Name of Item	Production Capacity (Yearly)
(i)		
(ii)		
(iii)		
(iv)		
(v)		

(b) My/Our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part – II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department and that the enterprise is regularly manufacturing the above items.

(c) My/Our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped to manufacture the above noted items.

Place ___________________

Signature of
Proprietor/ Director Authorized Signatory
with RubberStamp and date

32

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मेड़ता
DDO कोड सं. 3277

Annexure- 2

ANNEXURE- 2 CERTIFICATE OF CONFORMITY/ NO DEVIATION {to be filled by the bidder}

To,
(Tendering Authority),
______________________,
______________________,

NIT: **Dated**

CERTIFICATE

This is to certify that, the specifications of Cleaning Work which I/ We have mentioned in the bid, and which I/ We shall supply if I/ We am/ are awarded with the work, are in conformity with the minimum specifications of the Tender/ bidding document and that there are no deviations of any kind from the requirement specifications.

Also, I/ we have thoroughly read the tender/ bidding document and by signing this certificate, we hereby submit our token of acceptance to all the tender terms & conditions without any deviations.

I/ We also certify that the price I/ we have quoted is inclusive of all the cost factors involved in the end-to-end implementation and execution of the project, to meet the desired Standards set out in the Tender/ bidding Document.

Thanking you,

Name of the Bidder: -
Authorised Signatory: -
Seal of the Organization: -
Date:
Place:

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता जिला – नागौर

Annexure-3

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

In relation to my/our Bid submitted to --------------------for cleanliness work ---------------in response to their Notice Inviting Bids no.------------Dated ---------I/We hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that :

1- I/we posses the necessary proffessional,Technical,Financial and managerial resources and competence required by the bidding Document issued by the Procuring Entity;
2- I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3- I/We are not insolvent, in receivership bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4- I/We do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentation as to my/our qualifications to enter into a procurement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5- I/We do not have a conflict of Interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, Which materially affects fair competition;

Date :- Signature of the bidder

Place :- Name :

Address :

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मेड़ता
कोड सं 3277

Technical Envelop
Annexur :- 4

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is District & Session Judge, Jodhpur District.

The designation and address of the Second Appellate Authority is Registar General, High court, Jodhpur

1. Filing an appeal

   If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved: possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;.

   Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

   Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

2. The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

3. If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appeal Authority, as the case may be.

4. Appeal not to lie in certain cases

   No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

   (a) Determination of need of procurement;
   (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
   (c) The decision of whether or not to enter into negotiation;
   (d) Cancellation of a procurement process;
   (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

5. Form of Appeal

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मेड़ता
"OO कोड सं 3277"

a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed from alorg with as many copies as there are respondents in the appeal.
b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or second Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

6. Fee for filing appeal

a) Fees for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be, non-refundable.
b) The fee shall be paid in the form of band demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7. Procedure for disposal of appeal

a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
b) On the date fixed for hearing the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall,
   (i) hear all the parties to appeal present before him; and
   (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter
c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Dated :-
Place :-

Signature of the Bidder with Rubber Seal
Name :-
Desgination :-
Address :-

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मेड़ता
DDO कोड सं 327

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the ....(First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the

2. Name and address appellant:...

(ii) Official address, if any:..

(iii)Residential address:...

of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

....

....

.... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

....

....

....

Place ....   Appellant's Signature

Date ....

24

अपर जिला एव सेशन न्यायाधीश
मेड़ता
PPO कोड सं 3277

Technical Envelop

Annexur :- 5

Additional Conditions of Contract :-

1. Correction of arithmetic errors :-

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:-

a. if there if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is btained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the bid Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

b. if there if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

c. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to clause (a) and (b) above

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities :-**

a. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

b. Orders for extra items may be placed by the procuring entity in accordance with the Scheduled of power as prescribed by the Finance Department, upto 5% of the value of the original contract, if allowed in the bidding documents. The fair market value of such extra items payable by the procuring entity to the contractor shall be determined by the procuring entity in accordance with guidelines prescribed by the administrative department concerned.

c. Orders for additional quantities may be placed, if allowed in the bidding documents, on the rates and conditions given in the contract if the original order was given after inviting open competitive bids. Delivery or completion period may also be proportionately increased. The limits of repeat order shall be as under:-

(a) 50% of the quantity of the individual items and 50% of the value of original contract in case of works; and

(b) 50% of the value of goods or services of the original contract.